न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 15 / 2018

1–हरकेश पुत्र हरीसिंह जाति गूजर निवासी कस्वा कांमा जिला भरतपुर
2–गज्जो पुत्र हरीसिंह जाति गूजर निवासी कस्वा कांमा जिला भरतपुर
3–भगवान पुत्र हरीसिंह जाति गूजर निवासी कस्वा कांमा जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1–प्रेमवती पुत्री यादू जाति कोली निवासी सोनहद तहसील पलवल जिला फरीदाबाद
2–खैमराज पुत्र दीप जाति कोली निवासी मकान नम्बर 260 पुराना बसलेवा कालोनी निकट ठाकुरवाड़ा ओल्ड फरीदाबाद (हरियाणा)
3–तहसीलदार कांमा जिला भरतपुर

.....असल अप्रार्थी0

4–कामसेन पुत्र हरीसिह जाति गूजर निवासी कस्वा कांमा जिला भरतपुर

.....तरतीवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीग श्री राजवीर यादव व मुकदमा हरकेश बनाम प्रेमवती नम्बर 23 / 17

उपस्थितः–
श्री पंकज कुमार अभिभाषक प्रार्थी
श्री मोहनसिंह राना अभिभाषक अप्रार्थी 1व2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 9.4.2018

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि अति.जिला कलेक्टर न्यायालय डीग में एक मुकदमा हरकेश बनाम प्रेमवती विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशी दी जारही हैं। प्रार्थी ने नजदीकी तारीख दिये जाने बाबत आपत्ति की तो पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी से कहा कि मुझे इस प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने के लिये ऊपर से दबाब है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को 21.2.2018 को धमकी दी गई कि अति.कलेक्टर हमारे हक में फैसला करेगा हमारी बात चीत हो गई है। प्रार्थी. को अति.जिला कलेक्टर डीग से न्यायालय मिलने की उम्मीद नहीं है। अति.जिला कलेक्टर डीग में विचाराधीन प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

.....2

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। अति.जिला कलेक्टर डीग से टिप्पणी तलब की गई। अति.जिला कलेक्टर डीग से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि अति.जिला कलेक्टर डीग न्यायालय में हरकेश बनाम प्रेमवती प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा नजदीकी तारीख पेशीयां दी जा रही हैं, प्रार्थी ने नजदीकी तारीख पेशी दिये जाने का कारण पूछा गया तो अति. जिला कलेक्टर डीग ने बताया कि प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने के लिये ऊपर से दबाब है। अप्रार्थी. द्वारा भी अति.जिला कलेक्टर डीग द्वारा अपने पक्ष में मुकदमा फैसल करने की धमकी दी गई है। ऐसी स्थिति में अब प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जावे तथा अति.जिला कलेक्टर डीग के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल कर दिये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी. ने अपने तर्को में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों पर पेश किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा पक्षकारान के अधिवक्ताओं की सहमति से तारीख पेशी दी गई हैं। तारीख पेशीयों के बाबत तहत न्यायालय में किसी भी पक्षकार ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। पीठासीन अधिकारी पर गलत आरोप लगाया गया है। पीठासीन अधिकारी जो आरोप लगाया गया है वह पीठासीन अधिकारी ने कब कहा किस के सामने कहा इस बारे में प्रार्थना पत्र कोई उल्लेख नहीं किया गया है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.2.2018 को जो धमकी देना बताया गया है उसका स्थान समय एवं किन किन व्यक्तियों के सामने दी गई है इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रार्थी तहत न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा को निर्णित नहीं होने देना चाहते हैं प्रकरण को लम्बा करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में हमारा ध्यान आरआरटी 2011–12(supp) पेज 213 की ओर आकर्षित करते हुये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अति. जिला कलेक्टर डीग से प्राप्त टिप्पणी काअवलोकन किय गया। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रुलिंग आरआरटी 2011–12(supp) पेज 213 का अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने अपने जुबानी कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे उनके कथनों को समर्थन मिलता हो।

.....3

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को देरीना के लिये पेश किया गया है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीग को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 9.4.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official